फर्द अहकाम
(नियम 26)

.... अदालत जिला कलक्टर .... मुकाम .... श्रीगंगानगर ....

ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. अलीशेर खान वगै.(1)

किस्म मुकदमा : विविध बैंक　　　　　　　　　　मिसल नम्बर : 37 / 2023

अधिवक्ता श्री ....　　　　GCMS : 2023/50

Mobile No. :

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	न.व दि.
08 .03.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थीगण अलीशेर खान एवं तरसेम लाल के विरूद्ध प्रस्तुत करके ए.यू. स्माल फाईनेंस बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋणी अलीशेर खान की सम्पत्ति पट्टा नं. 38 (क्षेत्रफल 8700 सक्वायर फुट), चक 2 एस.टी.वाई, ग्राम पंचायत 5 एमएलडी–ए पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से दिलवाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी बैंक के आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज व कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 10.04.2023 को पेश हो। (सौरभ स्वामी) जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर	
10.04.23	प्रार्थी / अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित / अनुपस्थित है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्या में व्यस्त / बाहर / अवकाश पर है। पत्रावली दिनाक 8.05.23 को पेश हो।	
08/05/23	प्रार्थी / अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित / अनुपस्थित है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्या में व्यस्त / बाहर / अवकाश पर है। पत्रावली दिनाक 08/06/23 को पेश हो।	
12-06-23	प्रार्थी / अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित / अनुपस्थित है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्या में व्यस्त / बाहर / अवकाश पर है। पत्रावली दिनाक 10-07-23 को पेश हो।	
10/07/23	प्रार्थी / अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित / अनुपस्थित है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्या में व्यस्त / बाहर / अवकाश पर है। पत्रावली दिनाक 07-08-23 को पेश हो।	
07/08/23	प्रार्थी / अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित / अनुपस्थित है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्या में व्यस्त / बाहर / अवकाश पर है। पत्रावली दिनाक 28/08/23 को पेश हो।	
14/8/23	पत्रावली पेश हुई। संख्या प.9(18) राज-1/2022(1) राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर दिनांक अगस्त 05, 2023 से अनूपगढ़ जिले का पुर्नगठन किया गया है तथा अति मुख्य सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक प.9(18) राज.1/2022 जयपुर दिनांक 08-08-2023 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 40(33) ( ) सामान्य /2023/5291 दिनांक 11-08-2023 से जिला कलक्टर अनूपगढ़ से सम्बन्धित चालू पत्रावलियों को उन्हे स्थानान्तरित किया जाना है। इसलिए यह पत्रावली अनूपगढ़ जिले से सम्बन्धित होने के कारण उन्हे स्थानान्तरित की जाती है और सम्बन्धित पक्षकारो को आदेशित किया जाता है कि व आगामी पेशी दिनांक 28/8/23 जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट ,अनूपगढ़ के न्यायालय में उपस्थित होवें। जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:26:41 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 22/2023 (GCMS नं.: 2023/57)
ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. बनाम अलीशेर खान आदि
अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI Act.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **08.10.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.10.2022 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.10.2022 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ने बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है, और ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अलीशेर खान के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए.यू.स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त **प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का** प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी अलीशेर द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति **पट्टा नं. 38, चक 2 एस.टी.वाई, ग्राम पंचायत 5 एम.एल.डी. ए, पंचायत समिति घड़साना जिसका साईज 58 इन्टु 150 फीट (8700 सक्वायर फुट) का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, अनूपगढ़ को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि "प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें।" आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
IAS
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलेक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:26:41 IST
Reason: SelfAttested